BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 21 जून, 2022 **थाना कोतवाली नगर**

गैंगस्टर एक्ट में वांछित 10,000 रूपये का पुरस्कार घोषित एक अपराधी/लुटेरा लूटी गयी एक चैन पीली धातु, एक सीबीजैड बाइक व अवैध असलहा, कारतूस सहित गिरफ्तार।

जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 20/21.06.2022 की रात्रि में थाना कोतवाली नगर व कोतवाली देहात पुलिस संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए एनयूएस स्कूल के सामने संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिग कर रही थी कि चेकिग के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि दो मोटरसाइकिल पर सवार 04 व्यक्ति मामन चुंगी की तरफ से आ रहे हैं जो चैन, पर्स, नकदी आदि छीनने की घटनाएं कारित करते हैं। इस सूचना पर दोनों पुलिस टीमों द्वारा संयुक्त रुप से कार्यवाही करते हुए सतर्कता से चैकिंग करने लगी कि कुछ देर बाद मामन चुंगी की तरफ से दो बाइकों पर चार व्यक्ति आते दिखाई दिए जिनको टॉर्च की रोशनी दिखाकर रूकने का इशारा किया तो एक बाइक पर सवार दो व्यक्ति पुलिस को देखकर बाइक को तेजी से पीछे मोड़कर भाग गये तथा दूसरा बाइक सवार व्यक्ति भी बाइक को मोडने लगा तो उसकी बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गयी जिस पर पीछे बैठा एक व्यक्ति कूदकर जंगल की ओर भाग गया तथा मौके से एक अभियुक्त को लूटी गयी चैन पीली धातू, एक बाइक एवं अवैध असलहा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. रिहान उर्फ रिहान खान उर्फ निहाल पुत्र गालिब निवासी मौहल्ला नजीमपुरा भूड़ विराट फार्म हाउस के पीछे थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी-

1- एक बाइक सीबीजैड यूपी-13एसी-8691
2- एक चैन पीली धातु
3- एक तंमचा 315 बोर मय दो जिन्दा कारतूस

गिरफ्तार अभियुक्त रिहान खान द्वारा पूछताछ पर बताया कि बरामद चैन उसके द्वारा अपने फरार तीन साथियों के साथ मिलकर करीब 12-13 दिन पहले नगर क्षेत्र सोहम हॉस्पिटल के पास से एक महिला से रात के समय एक चैन छीनी थी जिसके संबंध में थाना कोतवाली नगर पर मुअसं-482/22 धारा 392/411/120बी/34 भादवि पंजीकृत है।

इसके अतिरिक्त करीब ढाई महीने पहले थाना स्याना क्षेत्र से चारों अभियुक्तों ने मिलकर एक स्कूटी सवार महिला से शाम के समय एक पर्स छीना था जिसमें 5000 रूपये, एक सोने की अंगूठी, कान के टॉप्स, एटीएम कार्ड व अन्य कागजात मिले थे। उक्त घटना के संबंध में थाना स्याना पर मुअसं-73/22 धारा 356 भादवि पंजीकृत है।

अभियुक्त रिहान द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर दिनांक 14.06.2022 को आरटीओ तिराह के पास से एक महिला से चेन छीनने की भी स्वकारोक्ति की गयी है जो अभियुक्त द्वारा अपने दूसरे साथी के पास होना बताया।

अभियुक्त रिहान द्वारा बताया गया कि वह अपने फरार तीनों साथियों के साथ मिलकर मोटरसाइकिल बदल-बदलकर राह चलती महिलाओं/व्यक्तियों से चेन, पर्स, नकदी आदि छिनेती की घटनाओं को अंजाम देते है।

अभियुक्त रिहान खान थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मुअसं-515/22 धारा 307 भादवि(पुलिस मुठभेड) व थाना थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत मुअसं-392/22 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी पर 10,000 रूपये का पुरस्कार घोषित है। अभियुक्त शातिर किस्म का लुटेरा/अपराधी है जिसके विरूद्ध जनपद के विभिन्न थानों पर निम्न अभियोग पंजीकृत है-

अभियुक्त रिहान खान का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं-164/22 धारा 380 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बुलंदशहर।
2. मुअसं-222/22 धारा 414/411 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बुलंदशहर।
3. मुअसं-223/22 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना कोतवाली देहात जनपद बुलंदशहर।
4. मुअसं-392/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद बुलंदशहर।
5. मुअसं-73/22 धारा 356 भादवि थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर।
6. मुअसं-482/22 धारा 392/411/120बी/34 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बुलंदशहर।
7. मुअसं-515/22 धारा 307 भादवि (पुलिस मुठभेड) थाना कोतवाली नगर जनपद बुलंदशहर।
8. मुअसं-533/22 धारा 3/25 आर्म एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बुलंदशहर।

अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली नगर पर मुअसं-533/22 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 एवं पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम-

1. उ0नि0 वीरेन्द्र कुमार, उ0नि0 अजयपाल सिंह, उ0नि0 परवेज चौधरी।
2. है0का0 अशोक कुमार, का0 पंकज कुमार

थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम-

1. का0 कुलदीप, का0 आसिफ, का0 सचिन कुमार।

मीडिया सैल बुलन्दशहर